राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3305/2024

1. सुशील कुमार पुत्र श्री हरि शंकर मीणा
2. अनिल कुमार पुत्र श्री दयाराम
3. ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री कन्हैया लाल यादव

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. एडीजीपी (आर्म्ड बटालियन), पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर (राज.)।
4. आयुक्त, 13th बीएन. आरएसी जेल सुरक्षा, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.11.2024
आदेश की दिनांक : 19.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.एल. पाण्डे, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थीगण की वरिष्ठता मूल मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ एवं काल्पनिक लाभ देते हुये मय शेष राशि तथा ब्याज का भुगतान किया जावे और उनसे कनिष्ठ कार्मिक जिसने कार्यग्रहण किया उसी कार्यग्रहण तिथी एवं मेरिट सूची के अनुसार अपीलार्थीगण की वरिष्ठता का सही निर्धारण किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने विज्ञप्ति दिनांक 28.09.2012 के अनुसार आरएसी में कांस्टेबल पद के लिये आवेदन किया और उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अन्य परीक्षायें भी उत्तीर्ण कीं और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत अंतिम चयन सूची दिनांक 29.10.2015 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 45ए पर अंकित किया गया और श्री शिव दयाल चौधरी उसका भी चयन हुआ और मेरिट सूची में वह अपीलार्थी से कनिष्ठ था और दिनांक 29.10.2015 को प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान की। उनका कथन है कि अपीलार्थी को नियुक्ति विलम्ब से दी गई। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रहीं हैं। अपीलार्थी को वर्ष 2015 में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया और 9 वर्ष पश्चात् प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्राप्त करने का अधिकारी हुआ। परंतु अपीलार्थी के असंतुष्ट होने पर उसने वरिष्ठता आदि के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के साथ पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया, जिससे अपीलार्थी को आर्थिक नुकसान हुआ। उनका कथन है कि इसी प्रकरण के समान अन्य मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2871/2023 में आदेश दिनांक 28.03.2023 को पारित किया और प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थी की वरिष्ठता को सुधारने एवं काल्पनिक लाभ देते हुये उसे वरिष्ठता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामले के समान है और इस प्रकार अपीलार्थी की उक्त मामले के तरह लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया, जो नियम एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थीगण की वरिष्ठता मूल मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ एवं काल्पनिक लाभ देते हुये मय शेष राशि तथा ब्याज का भुगतान किया जावे और उनसे कनिष्ठ कार्मिक जिसने कार्यग्रहण किया उसी कार्यग्रहण तिथी एवं मेरिट सूची के अनुसार अपीलार्थीगण की वरिष्ठता का सही निर्धारण किया जावे।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अपीलार्थी ने विज्ञप्ति दिनांक 28.09.2012 के अनुसार आरएसी में कांस्टेबल पद के लिये आवेदन किया और उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अन्य परीक्षायें भी उत्तीर्ण कीं और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत अंतिम चयन सूची दिनांक 29.10.2015 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 45ए पर अंकित किया गया। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे उक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकरण में पारित किये गये आदेश को ध्यान में रखते हुये तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)